राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांकः—4(23) वित्त/राजस्व/1994 जयपुर दिनांक 27 OCT 2017

—:आज्ञा:—

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50 के अन्तर्गत श्री राम किशन शर्मा, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़ को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 04.08.2017 के आधार पर दिनांक 06.11.2017 को मध्यान्ह पूर्व से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम किशन शर्मा, सहायक निदेशक के विरूद्ध आज तक:—

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम— 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम—19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह भी आदेशित किया जाता है कि राजकीय आवास में अधिवासित होने की स्थिति में, श्री राम किशन शर्मा द्वारा सेवानिवृति तिथि से दो माह की अवधि के भीतर ही राजकीय आवास रिक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

27/10/17
(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 329/अधि/संस्था/बीमा/2017/6396 दिनांक 04.10.2017 के क्रम में।
4. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग
5. श्री राम किशन शर्मा, सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, हनुमानगढ़।
6. निजी पत्रावली
7. रक्षित पत्रावली

27/10/17
संयुक्त शासन सचिव